

	अधिकतम	न्यूनतम	आज का अनुमान (अधिकतम)
श्री डूंगरगढ़	22.0	4.0	25.5
बीकानेर	23.0	6.0	23.5
जयपुर	23.0	6.0	23.8

पुलिस ने सलमान भुट्टा को पकड़ने के लिए फेंका राजपासा, भेजा जेल



NEXT। बीकानेर पुलिस ने कुख्यात अपराधी सलमान भुट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (RAJPASA) के तहत तीसरी बार जेल भेजा है। सलमान पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, फिरौती और अन्य गंभीर अपराधों के कुल 29 मामले दर्ज हैं। 31 वर्षीय सलमान भुट्टा, जो बीकानेर के सदर थाना क्षेत्र के भुट्टों का बास का रहने वाला है, पुलिस के लिए लंबे समय से सिरदर्द बना हुआ था।

उसकी बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने उसकी हिस्ट्रीशीट तैयार की थी। राजस्थान पुलिस की एटीएस और एसओजी ने भी उसे हार्डकोर अपराधी घोषित किया है। बीकानेर पुलिस अधीक्षक कावेन्द्र सिंह सागर ने उसकी कुंडली तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष RAJPASA अधिनियम के तहत इस्तगासा पेश किया। जिला मजिस्ट्रेट ने इस पर संज्ञान लेते हुए सलमान भुट्टा को गिरफ्तार कर केंद्रीय कारागृह बीकानेर में भेजने के आदेश दिए। यह कार्रवाई समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर शिकंजा कसने की दिशा में पुलिस की सख्त नीति को दर्शाती है।

आमजन से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई एवं अटल जन सेवा शिविर कल

NEXT। श्रीडूंगरगढ़ उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई एवं अटल जन सेवा शिविर का आयोजन आज गुरुवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पंचायत समिति में आयोजित है। जनसुनवाई पूरी होने तक आमजन की परिवेदनाओं/समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान हेतु ब्लॉक स्तर (पंचायत समिति स्तर) पर अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा।

गत शिविर में प्राप्त शिकायतों व संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापरक निस्तारण करवाकर प्रगति रिपोर्ट के साथ पंचायत समिति के वीसी कक्ष में उपस्थित होने का सभी विभागों को आदेश दिया गया है।

2 बेटियों ने 28 राज्यों की 30 हजार किमी यात्रा बाइक से की दिया महिला सशक्तिकरण का संदेश



NEXT। श्रीडूंगरगढ़ में बीकानेर की बेटियां निर्मला गोदारा और अंजना राठौड़ का भव्य स्वागत हुआ, जिन्होंने मात्र 86 दिनों में भारत के 28 राज्यों की 30,000 किलोमीटर लंबी बाइक यात्रा पूरी की। यह यात्रा महिला सशक्तिकरण और समानता का संदेश देने के उद्देश्य से 17 सितंबर 2024 को बीकानेर से शुरू हुई थी।

बुधवार को श्रीडूंगरगढ़ पहुंचने पर यूथ कांग्रेस कार्यालय में हरिराम बाना और उनकी टीम ने दोनों का स्वागत किया। इस अवसर पर निर्मला और अंजना ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्होंने मणिपुर को छोड़कर सभी राज्यों का दौरा किया और महिलाओं के

अधिकार और सम्मान का संदेश प्रसारित किया। कार्यक्रम में पीसीसी सदस्य हरिराम बाना के साथ कांग्रेस के अन्य सदस्यों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दोनों महिलाओं को साफा पहनाकर और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया। इस प्रेरणादायक यात्रा ने न केवल महिला सशक्तिकरण के महत्व को उजागर किया बल्कि पूरे देश में एक प्रेरणा के रूप में एक नई मिसाल पेश की। इस दौरान विमल भाटी, जगदीश गोदारा, राजेश डेलू, राहुल वाल्मिकी, शुभम शर्मा, राकेश बाना, गोल्डन तंवर, मुकेश मदेरणा सहित अनेक युवा मौजूद रहें।

1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए शपथ आयुक्तों की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित

NEXT। बीकानेर जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालयों, तहसील व उप तहसील मुख्यालयों पर स्थित राजस्व न्यायालयों हेतु शपथ आयुक्तों की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं।

जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि राजस्व मंडल राजस्थान (शपथ आयुक्त नियुक्ति) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए शपथ आयुक्त की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र मांगे गए हैं। प्रार्थना पत्र जिला मुख्यालय पर उपविधि परामर्श कार्यालय जिला कलेक्टर अथवा अध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकानेर तथा उपखंड क्षेत्र के लिए संबंधित कार्यालय उपखंड अधिकारी को 26 दिसंबर 2024 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रार्थना पत्र में अधिवक्ता का स्पष्ट नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेंट नंबर और जिस मुख्यालय पर शपथ आयुक्त बनना चाहते हैं उस मुख्यालय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ एनरोलमेंट नंबर की फोटो प्रति लगाना अनिवार्य है। अपूर्ण और अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2024 के बाद प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को निरस्त किया जा सकता है।

आज ही NEXT की साइट का विजिट करें और जुड़ें रहिए NEXT से...

ग्राम पंचायतों के कार्यों का भौतिक सत्यापन शुरू, 17 को ग्राम सभा

NEXT। श्रीडूंगरगढ़ पंचायत समिति के अंतर्गत इंदपालसर सांखलान, इंदपालसर गुसाईसर, जैतासर और जैसलसर ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य जारी है। महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन (BRP) बाबूलाल गर्ग ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण टीम ने पिछले छह महीनों में पंचायत द्वारा किए गए कार्यों और रिकॉर्ड



का गहन निरीक्षण शुरू किया है। टीम में मोहनराम, रामनारायण मेघवाल, बिरजू खिलेरी, भगीरथ प्रसाद बारोठिया, शोभाराम सारण, बंशीलाल, कुंदनमल, सरिता, पूनम सहित अन्य सदस्य शामिल

है। गर्ग ने बताया कि टीम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कार्यों की गुणवत्ता की जांच करना और यह सत्यापित करना है कि कार्य समय पर और सही तरीके से पूरे हुए हैं या नहीं। ग्राम विकास अधिकारी (VDO) ने टीम को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और जांच प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद की।

गर्ग ने बताया कि भौतिक सत्यापन का कार्य 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसके बाद 17 दिसंबर को ग्राम सभा का आयोजन होगा। ग्राम सभा में सरपंच, कार्यवाही अधिकारी, प्रभारी, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी और ग्रामीणों की उपस्थिति में टीम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती: श्रीकृष्ण की शिक्षा- कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म है

NEXT। आज 11 दिसंबर बुधवार को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती मनाई गई। यह दिन हिंदू धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।

गीता का यह उपदेश जीवन के सभी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है और आज भी लोगों को सही दिशा में जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है।

इस दिन को मनाने का एक प्रमुख कारण श्रीकृष्ण का यह उपदेश है कि "कर्म न करना भी एक कर्म है", जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

NEXT NEWS EXCELLENT TODAY

महिला संरक्षण के लिए पढ़ें एक विशेष आलेख

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 वर्तमान में एक तरफ जहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की वारदातें बढ़ने की खबरें पढ़ने को मिलती हैं तो दूसरी तरफ न्यायालय द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

आज की इस कड़ी में हम जानेंगे महिलाओं को कानून द्वारा मिले कुछ ऐसे अधिकारों के बारे में, जिनके द्वारा वह खुद को अन्याय से बचा सकती है।

घरेलू हिंसा क्या है?

-किसी महिला के पारिवारिक संबंध वाले व्यक्ति द्वारा उस महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और यौन शोषण घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। इसके साथ ही महिला को शारीरिक, मानसिक, यौनिक और सामाजिक रूप से वचनों के द्वारा भी प्रताड़ित

करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। तो हम यह कह सकते हैं कि महिला के पारिवारिक सम्बंध वाला कोई भी व्यक्ति उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो वह घरेलू हिंसा है।


ऐसे में पीड़ित महिला अब क्या करें?

पीड़ित महिला इस अधिनियम की धारा-12 के अंतर्गत एक आवेदन कर सकती है और उसमें अपने साथ हुए व हो रहे दुर्व्यवहार की बात न्यायालय के समक्ष सत्य तथ्य के साथ रख सकती है। न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर धारा-18 के अंतर्गत एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करके अपराधी को महिला के साथ हिंसा नहीं करने की हिदायत दी जाती है। इसके साथ ही पुरुष के पैतृक हिस्से में महिला को रहने का आदेश भी कोर्ट कर सकता है। साथ ही महिला के भरण-पोषण का आदेश भी

को रहने का आदेश भी कोर्ट कर सकता है।

साथ ही महिला के भरण-पोषण का आदेश भी अप्राथमिक को किया जा सकता है। महिला को अपनी संतान से मिलने का आदेश भी कोर्ट कर सकता है। इन सभी आदेशों की पालना न्यायालय पुलिस के द्वारा करवाती है।

विशेष- इस अधिनियम में सिर्फ महिला के लिए ही प्रावधान है जिसमें महिला को संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। (अधिक जानकारी के लिए आप एड. मोहनलाल सोनी से संपर्क कर सकते हैं।)



एडवोकेट मोहनलाल सोनी, एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र सहित बीकानेर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की श्रेणी में अग्रणी एडवोकेट मोहनलाल सोनी को न्याय के क्षेत्र में कार्य करने का 35 वर्षों का लंबा अनुभव है। सन 1990 से निरन्तर आज तक एक अधिवक्ता की हैसियत से आमजन को न्याय दिलवाने की दिशा में निरन्तर गतिमान है। एडवोकेट मोहनलाल सोनी द्वारा सिविल, फौजदारी और रैवेन्यू प्रकरण की पैरवी भारतीय न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत की जा रही है।